

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल छिंदवाड़ा

E-mail ID :: dfotechwara@mp.gov.in

P.-(07162)243457, Fax (07162)242267

क्रमांक/तकनीकी/2024/ २९८०

छिंदवाड़ा, दिनांक/ १२-८-२४

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(कक्ष - भू प्रबंध)

वन भवन भोपाल म.प्र.

विषय :- छिंदवाड़ा जिले में एडीबी-6/7 योजना अंतर्गत हरई - बिजोरी मार्ग (राज्यमार्ग क-41) उन्नयन / निर्माण हेतु 6.372 हेक्टेयर वनभूमि मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम छिंदवाड़ा कोउपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/ROAD/124534/2021)

संदर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र दिनांक 31.01.2024 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष - भू-प्रबंध) वन भवन भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-5/1140/2022/10-11/808 दिनांक 05.02.2024 एवं म.प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. संभागीय प्रबंधन छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 455 दिनांक 24.07.2024।

विषयांकित संदर्भित पत्र के तारतम्य में निवेदन है कि, पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल अंतर्गत छिंदवाड़ा जिले में एडीबी-6/7 योजना के अंतर्गत हरई - बिजोरी मार्ग (राजमार्ग क्रमांक 41) उन्नयन / निर्माण हेतु 6.372 हेक्टेयर (पूर्व वनमंडल अंतर्गत 6.192 हेक्टेयर एवं पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल अंतर्गत 0.180 हेक्टेयर) भूमि के प्रकरण में आपके पत्र क्रमांक एफ-5/1140/ 2022/10-11/808 दिनांक 05.02.2024 से चाही गई 5 बिन्दुओं की जानकारी आवेदक विभाग द्वारा प्रेषित की गई है, जिसमें बिन्दु क्रमांक 4 की जानकारी निम्नानुसार है -

S.No.	Conditions	Compliance
4	As per the DSS report, some non-forest area is falling in the forest compartment. The same is need to be re-verified by the concerned DFO.	As per Site inspection non forest area is not falling in forest compartment of East Chhindwara Division.

प्रतिवेदन सूचनार्थ संप्रेषित।

संलग्न :- आवेदक विभाग द्वारा प्रेषित बिन्दुवार प्रतिवेदन।

(ब्रिजेन्द्र श्रीवास्तव) भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी

पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल छिंदवाड़ा

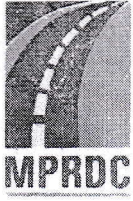
पृष्ठा.क्रमांक/तकनीकी/2024/ २९८१

छिंदवाड़ा, दिनांक/ १२-८-२४

प्रतिलिपि :- 01 वन संरक्षक छिंदवाड़ा वन वृत्त की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

वनमंडलाधिकारी

पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल छिंदवाड़ा



म.प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

(मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम)

कार्यालय – संभागीय प्रबंधक

व्ही.आई.पी, (सरकुलर) रोड, फॉरेस्ट कॉलोनी
छिन्दवाड़ा (म.प्र.) पिन 480001, फोन नं.- 07162-292624

Email:- dm-chhindwara@mp.gov.in

CIN: U45203MP2004SG016758

पत्र क्र. 455 /बिजोरी-हरई मार्ग/एमपीआरडीसी/2024 छिंदवाड़ा, दिनांक 24/07/2024

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,

पूर्व छिंदवाड़ा वनमण्डल,

छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश)

वनमण्डलाधिकारी,

पश्चिम छिंदवाड़ा वनमण्डल,

छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश)

विषय:-छिंदवाड़ा जिले में ए.डी.बी.-6/7 योजना के अंतर्गत हरई-बिजोरी मार्ग (राज्य राजमार्ग क्रमांक-41) कुल लंबाई-72.73 किमी. के उन्नयन/निर्माण हेतु कार्य में प्रयुक्त होने वाली 6.372 हेक्टेयर वन भूमि म.प्र. सड़क विकास निगम को देने बाबत।

(ऑनलाइन प्रकरण क्र. FP/MP/ROAD/124534/2021)

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) वन भवन मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक-एफ-5/1140/2022/10-11/808 भोपाल दिनांक 05/02/2024।
2. वनमंडलाधिकारी, पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल का पत्र क्रमांक. मा.चि/2024/701 छिंदवाड़ा दिनांक 16/04/2024।
3. वनमंडलाधिकारी, पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल का पत्र क्रमांक-तकनीकी/2094 छिंदवाड़ा दिनांक 19/07/2024।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार द्वारा चाही गई बिन्दु क्रमांक-01 से 05 तक की जानकारी निम्नानुसार है:-

S.No.	Conditions	Compliance
1	KML file uploaded for forest and non forest area in online portal. If, the non forest area is also involved in widening of the existing road then the requisite entry of the area may be made in designated columns in online portal.	There is no non-forest land is being acquired for road construction and widening, which information is given in point No.-A-1-IX of the applied online application. (up loaded)
2	The State Govt. has stated that the existing road is constructed before 1980 but as prescribed in the guideline (Handbook of FCA 1980 at para 11.6 and guideline dated 15.03.2023) the copy of specific order for de-reservation or diversion of forest lands issued by the State Govt. prior to 25.10.1980, for the construction of existing road has not been provided. if, it is not available then the existing carriageway should also be part of the area proposed for diversion. The necessary changes in the proposal be made accordingly.	The route was built before 1980. As per toposheet no. 55 N/2, 55 J/15 & 55 J/11 in enclosed. The existing carriageway should also part of area proposed for diversion the necessary changes in the proposal part-I be changed and uploaded on Parivesh Portal-Annexure-I enclosed (up loaded)
3	Also, name of authority who passed orders in violation of FCA, for construction of road (prior to 1980) needs to be provided	Not Applicable
4	As per the DSS report, some non-forest area is falling in the forest compartment. The same is need to be re-verified by the concerned DFO.	Pertains to forest department.
5	Layout plan shall be submitted.	Layout plan is attached. (up loaded)

संलग्न:-

आवश्यक कार्यावाही हेतु सूचनाएं प्रेषित।

(अ-प्रबंध) भोपाल को प्रेषित करने का कष्ट करें। जिससे प्रकरण में आरत सरकार से सौखिनिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यावाही की जा सके। (छायाप्रति संलग्न)।

अतः निवेदन है कि बिन्दु क्र. 04 की पूर्ति कर प्रकरण अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

पृष्ठा. क्र.

प्रतिलिपी:-

बिजोरी-हर्टई मार्ग/एमपीआरडीसी/2024

छिंदवाड़ा, दिनांक

/07/2024

एम.पी.आर.डी.सी. छिंदवाड़ा

संभारणीय प्रबंधक

1. मुख्य अभियंता (एडीबी-6/7) म.प्र.सड़क विकास निगम, भोपाल की ओर सूचनाएं प्रेषित।
2. पर्यावरण सुरक्षा विशेषज्ञ, एम.पी.आर.डी.सी. भोपाल की ओर सूचनाएं प्रेषित।
3. श्री आर.के. सोनी, सहायक महाप्रबंधक, एम.पी.आर.डी.सी., छिंदवाड़ा की ओर सूचनाएं प्रेषित।
4. मुख्य कार्याकारी अधिकारी, बेसर्स हाईवे इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स प्रा. लि. टी-10, वृत्तीय तल, सिटी सेंटर, प्लॉट नंबर-01, बिश्नाल भोगा मार्ग के उपर, जोन-1, एम.पी. नगर भोपाल की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

संभारणीय प्रबंधक